जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1630 दि. – 3 FEB 2017

आदेश

विषय – बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर के सम्बन्ध में।

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी व्यवसायों/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं संबंधित कार्यो के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्वीकार करते समय सभी उद्यमियों से आवेदन पत्र में 16 अंको का बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर भी समाविष्ट करावें।

उक्त अधिसूचना की अनुपालना में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी व्यवसायों/प्रतिष्ठानों से आवेदन पत्र स्वीकार करते समय सभी उद्यमियों से आवेदन पत्र में 16 अकों का बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर समाविष्ट कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2016

आज्ञा से

03/2/17

(एम.आर मीणा)
अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,...............................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

02/03/17

अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

801

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

भाद्र 30, बुधवार, शाके 1938–सितम्बर 21, 2016

Bhadra 30, Wednesday, Saka 1938- September 21, 2016

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आयोजना विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 20, 2016

संख्या एफ. 23(5)1/टीएफसी/बीईएस/बी.आर./57207 :–राज्य के सभी प्रतिष्ठान/व्यवसाय, जो पहले से स्थापित है या जो उद्यमी प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखते है, के लिए बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा मुख्य आर्थिक गतिविधि कोड राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरणी 2008 (समस्त आर्थिक गतिविधियाँ) के द्वारा निर्धारित करके उद्यमों का एक विशिष्ठ ढाँचा विकसित किया जाना है जो कि बिजनिस रजिस्टर के नाम से जाना जायेगा, यह सभी उप–क्षेत्रों यथा व्यापार, होटल, रेस्टोरेन्ट, परिवहन, संचार भू–राजस्व, कानूनी व व्यापारिक सेवायें, उद्योग, फैक्ट्री एवं अन्य वे सभी क्रियाकलाप जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में संलिप्त है तथा राज्य आय में यों .ग्रन देते हैं, के लिए होगा। जिला बिजनिस रजिस्टर जिला स्तरीय सांख्यिकीय सूचनाओं के सृजन और समय–समय पर करवायें जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए व्यवस्थित ढाँचे के रूप में एक उपयोगी साधन होगा।

इसलिए, राज्य सरकार द्वारा बिजनिस रजिस्टर को विकसित करने के लिए सभी जिलों के उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों में बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र स्थापित करना आवश्यक समझा गया है। राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बिजनिस रजिस्टर के कार्य के लिए निम्नानुसार व्यवस्था करती है :–

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन राज्य बिजनिस रजिस्ट्रार
संयुक्त निदेशक (एन.एस.एस.) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन अतिरिक्त राज्य बिजनिस रजिस्ट्रार
समस्त जिला कलेक्टर	पदेन जिला बिजनिस रजिस्ट्रार
समस्त जिला उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन अतिरिक्त जिला बिजनिस रजिस्ट्रार

राज्य स्तर पर पदेन राज्य बिजनिस रजिस्ट्रार तथा जिला स्तर पर पदेन अतिरिक्त जिला बिजनिस रजिस्ट्रार द्वारा बिजनिस रजिस्टर से सम्बधित सम्पूर्ण कार्य का पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण किया जावेगा।

सभी प्रतिष्ठानों/व्यवसायों के उद्यमी राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निकटतम जिला कार्यालय में स्वयं या ऑनलाईन http://br.raj.nic.in. बिजनिस रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र में विधिक नाम, व्यवसायिक संस्था का प्रकार, मुख्य व्यवसाय का पता साक्ष्य सहित इत्यादि भरकर नि:शुल्क 16 अंको को बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करके उद्यमी प्रतिष्ठान/व्यवसाय के पंजीकरण हेतु सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत संस्थान भी निर्धारित प्रक्रिया से बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

अत: अब राज्य सरकार इस अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों और अन्य संस्थाओं जिसमें विद्युत/जल आपूर्ति, जल प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/नगरपालिकायें आदि सम्मिलित हैं, को निर्देशित करती है कि वे सभी व्यवसायों/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं सम्बन्धित कार्यों के लिये निर्धारित आवेदन पत्र स्वीकार करते समय सभी उद्यमियों से आवेदन पत्र में 16 अंकों का बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर भी समाविष्ट करावें।

यह अधिसूचना भारतीय कम्पनी एक्ट–1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1/1956), फैक्ट्री एक्ट–1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63/1948), शॉप एवं कॉमर्शियल एस्टेबलिशमेंट एक्ट–1958, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1958, कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट–2001, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006) आदि एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले प्रतिष्ठानों/व्यवसायों पर भी प्रभावी रहेगी।

यह अधिसूचना तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

अखिल अरोरा,

शासन सचिव, आयोजना।